प्राचार्य का कार्यालय, नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के विभिन्न विभागों के लिये मशीन–उपकरणो का कय हेतु निबंधित फर्म/निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत बिकेता से मुहरबन्द लिफाफे में सील्ड निविदा राष्ट्रीय समाचार में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर केवल निबंधित/स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यावधि 10:00 पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।निविदा दो तरह की होगी। (क)तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा । दोनों निविदा अलग–अलग लिफाफे में सील्ड कर पुनः उसे बड़े लिफाफे में सील्ड कर उस पर किस मद के लिए निविदा दिया जा रहा है,अंकित कर प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना–26 को भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्प्युटराईज होना चाहिए। काट–कूट एवं लिप्त लेपन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा प्राप्त कियां जायगा।निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि को निविदा कय समिति के द्वारा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगली कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। कय की जाने वाले मशीन–उपकरण की सूची निविदा प्रकाशन के पश्चात कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।निविदा की विस्तृत जानकारी WWW.prdbihar.gov.in,nmcpatna1980@gmail.com पर देखें अथवा कार्यालय से सम्पर्क करें।

निविदा शर्त्त

(क)–तकनीकी निविदा के साथ निविदादाताओं को निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा।

1–फर्म/कम्पनी प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम,पूरा पता एवं फोन नम्बर एवं आधार कार्ड ।

2–दुकान/प्रतिष्ठान का लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

3–फर्म को जी0एस0टी0 के निबंधन प्रमाण पत्र की स्पष्ट छायाप्रति ।

4–आयकर का पैन कार्ड की छाया प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के आयकर रिर्टन की छायाप्रति।

5–निविदादाता द्वारा अन्य संस्थानों में आपूर्ति किये गये सामानों का सम्बंधित विभाग से निर्गत परफोरमेंन्स प्रमाणपत्र ।

6. निविदादाता को इस आश्य का घोषणा पत्र मुल में संलग्न करना होगा कि वित्तीय निविदा में अंकित दर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अर्न्तगत है।

7. अग्रधन के रूप में मो0–100,000.00 (एक लाख रू0 मात्र का सरकारी बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफट प्राचार्य के पदनाम से भुगतेय संलग्न करना होगा।

8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही रहने का शपथ पत्र (कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा।

9. निविदादाता का विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 का टर्न ओभर की विवरणी।

10. मशीन–उपकरणों का निर्माता कम्पनी द्वारा दिया प्राधिकृत प्रमाणपत्र,जो प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के पदनाम से होना चाहिए।

11. मशीन–उपकरणों का मेक,गुणवत्ता (आइ.एस.आई/आई. एस आ.)करेन्ट मॉडल,स्पेशिफिकेशन,कैटलॉग से सम्बंधित कागजात संलग्न करना होगा ।

12. निविदा की प्री–वीड मीटींग निविदा के समाचार पत्र मं प्रथम प्रकाशन की तिथि से 10 वें दिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 1.00 बजे दिन में होगी।उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्री–वीड मीटींग होगी।

13. अगर किसी मशीन–उपकरण का दर BMSICL द्वारा तक किया गया है या तय करने की प्रकियाधीन है तो उस मशीन की खरिद इस निविदा के आधार पर नही की जायगी।

(ख) वित्तीय निविदा –

01–वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स रहित होना चाहिए एवम् उसपर निर्धारित सभी प्रकार का देय टैक्स अलग से टंकित होना चाहिए ।

02. मशीन–उपकरणों का CMC का वार्षिक दर अंकित करना होगा।

अन्य शर्त्तें

1. मशीन–उपकरणों को कॉलेज एवं विभागों में पहुॅचाने एवं उसकी अधिस्ठापन निर्धारित स्थान अथवा विभाग में करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।अधिष्ठापन एवं कार्यरत होने के प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही विपत्र का भुगतान होगा।

2– अगर मशीनों में रसायन या किटस की आवश्यकता होगी तो आपूर्तिकर्त्ता को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

3. जिस फर्म का तकनीकी निविदा विहित शर्त्तों के अधीन पायी जायेगी, उन्हीं के वित्तीय निविदा कय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

4. एक लाख या उससे अधिक मुल्य वाले मशीन–उपकरणों का एक वर्ष का वारंटी एवं एक वर्ष के वारंटी अवधि के पश्चात चार वर्षा का मेंनटनेंस कन्टक्ट (CMC) करना होगा।

5. CMC राशि का भुगतान संतोषजनक कार्य होने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर की जायगी।

6. निविदा दर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाशित सूची के कमानुसार होनी चाहिए। भविष्य में मूल्य के विरोधाभाष के लिए निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता स्वयं जिम्मेबार होगें।

7.कय समिति का निर्णय अंतिम होगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी/सभी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8.किसी तरह के विवाद का निपटरा पटना उच्च न्यायालय में होगा।

9.आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर मशीन–उपकरणों का कय किया जायेगा। आदेशित मशीन–उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित अबधि में नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान की अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी एवं काली सूची में डाल दी जायेगी।

10.अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. आपूर्ति/अधिष्ठापन निर्धारित स्थान पर कर प्रदर्शन/प्रशिक्षण सम्बंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष करना होगा।

12. निविदा के सभी पृष्ठो को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

प्राचार्य
नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना।